न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– सुखराम खोखर
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
12 / 2016 / प्रा.पत्र / 2016	04.02.2016	20.02.2020

मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.... प्रार्थी

बनाम

1–श्री कमलेश जैन पुत्र जगदीश जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स कमल जनरल एण्ड किराणा स्टोर नानेर तहसील पीपलू जिला टोंक राज0 निवासी मकान नं0 117 वार्ड नं0 7 जाट मौहल्ला नानेर तहसील पीपलू जिला टोंक राज0
2– मैसर्स कमल जनरल एण्ड किराणा स्टोर नानेर तहसील पीपलू जिला टोंक राज0
3–श्री चन्द्र प्रकाश जैन पुत्र मीठालाल चन्द जैन जाति महाजन एफ.बी.ओ. मैसर्स आयुष एजेन्सीज सुभाष मार्केट मालपुरा जिला टोंक निवासी रामनगर जयपुर रोड मालपुरा जिला टोंक राज0
4– मैसर्स आयुष एजेन्सीज सुभाष मार्केट मालपुरा जिला टोंक
5–श्री अमित गुप्ता प्रोपराइटर मैसर्स श्री ताडकेश्वर एग्रो फूड प्रोडक्ट बी–82 एल.एस. नगर नया खेडा अम्बाबाडी जयपुर राज0 निवासी बी–82 एल.एस. नगर नया खेडा अम्बाबाडी जयपुर राज0
6– मैसर्स श्री ताडकेश्वर एग्रो फूड प्रोडक्ट बी–82 एल.एस. नगर नया खेडा अम्बाबाडी जयपुर राज0

...... अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–
1–प्रार्थी की ओर से श्री मदन लाल गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
2–अप्रार्थीगण संख्या 3 व 4 स्वंय तथा 1,2,5,6 की और से उपस्थित

:–निर्णय–: **दिनांक 20.02.2020**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 1.11.2015 को समय 12.11 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स कमल जनरल एण्ड किराणा स्टोर नानेर तहसील पीपलू जिला टोंक राज0पर पहुंचां। विकेता की हैसियत से श्री कमलेश जैन पुत्र जगदीश जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स कमल जनरल एण्ड किराणा स्टोर नानेर तहसील पीपलू जिला टोंक राज0 निवासी मकान नं0 117 वार्ड नं0 7 जाट मौहल्ला नानेर तहसील पीपलू जिला टोंक राज0 खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Scanned by CamScanner

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान मे **रिफाइंड पाम ऑयल श्री श्याम धणी मूल पैक** (Refined Palm Oil Shree Shyam Dhani Original Pack)रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर. एफ.बी.ओ. श्री कमलेश जैन को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता कमलेश जैन एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान मे 182 ग्राम के 51 डिब्बे मूल पैक कागज के गत्ते के कार्टून **रिफाइंड पाम ऑयल श्री श्याम धणी मूल पैक** (Refined Palm Oil Shree Shyam Dhani Original Pack) रखे हुये मे से 12 मूल पैक 182–182 ग्राम (कुल वनज 2184 ग्राम) ज्यो का त्यो साफ प्रिन्टेड वास्ते आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुये मे से वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत एफ.बी.ओ. श्री कमलेश जैन को रू0 204/–अक्षरे दौ सौ चार रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **रिफाइंड पाम ऑयल श्री श्याम धणी मूल पैक** (Refined Palm Oil Shree Shyam Dhani Original Pack) 182–182 ग्राम के 3–3 नग बराबर चार भाग कर व लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I–1181 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–1181 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर एफ.बी.ओ. कमलेश जैन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की। खाध पदार्थ का नमूना क्रय करते समय श्री कमलेश जैन ने मौके पर **रिफाइंड पाम ऑयल श्री श्याम धणी मूल पैक** (Refined Palm Oil Shree Shyam Dhani Original Pack) बतोर वारन्टी मैसर्स आयुष एजेन्सीज सुभाष मार्केट मालपुरा जिला टोंक राज0 का बिल/इन्वॉइस 155 दिनांक 29.10.2015 व मैसर्स आयुष एजेन्सीज सुभाष मार्केट मालपुरा जिला टोंक राज0 ने मैसर्स श्री ताडकेश्वर एग्रो फूड प्रोडक्ट बी–82 एल.एस. नगर नया खेडा अम्बाबाडी जयपुर राज0का खरीद बिल क्रमांक/इन्वॉइस नं 1743 दिनांक 12. 10.2015 की छायाप्रति प्रति पेश की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक खाध सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

1025

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

Scanned by CamScanner

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./15/4989 दिनांक 28.12.2015 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/847/एक्ट/2015/915 दिनांक 08.12.2015 अनुसार कमलेश जैन से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया **रिफाइंड पाम ऑयल श्री श्याम धणी मूल पैक** (Refined Palm Oil Shree Shyam Dhani Original Pack) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अनुसार **मिथ्याछाप** (Mis-branded) का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का **रिफाइंड पाम ऑयल श्री श्याम धणी मूल पैक** (Refined Palm Oil Shree Shyam Dhani Original Pack) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **रिफाइंड पाम ऑयल श्री श्याम धणी मूल पैक** (Refined Palm Oil Shree Shyam Dhani Original Pack)का विक्रय कर रहा था वह जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **रिफाइंड पाम ऑयल श्री श्याम धणी मूल पैक** (Refined Palm Oil Shree Shyam Dhani Original Pack)का नमूना जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणितः होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 अप्रार्थी श्री कमलेश जैन पुत्र जगदीश जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स कमल जनरल एण्ड किराणा स्टोर नानेर तहसील पीपलू जिला टोंक राज0 निवासी मकान नं0 117 वार्ड नं0 7 जाट मौहल्ला नानेर तहसील पीपलू जिला टोंक राज0 पर शास्ति 10,000 (अक्षरे दस हजार रू0) अप्रार्थी श्री चन्द्र प्रकाश जैन पुत्र मीठालाल चन्द जैन जाति महाजन एफ.बी.ओ. मैसर्स आयुष एजेन्सीज सुभाष मार्केट मालपुरा जिला टोंक निवासी रामनगर जयपुर रोड मालपुरा जिला टोंक राज0 पर शास्ति 10,000 (अक्षरे दस हजार रू0) अप्रार्थी श्री अमित गुप्ता प्रोपराइटर मैसर्स श्री ताडकेश्वर एग्रो फूड प्रोडक्ट बी–82 एल.एस. नगर नया खेडा अम्बाबाडी जयपुर राज0 निवासी बी–82 एल.एस. नगर नया खेडा अम्बाबाडी जयपुर राज0 पर शास्ति 10,000 (अक्षरे दस हजार रू0) आरोपित की जाती है।अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

1026

Scanned by CamScanner

20.02.2020 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.02.2020 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(सुखराम खोखर)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukh Ram Khokher
Date: 2020.07.07 13:46:07 IST
Reason: SelfAttested
Location: